

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 299]

नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 6, 2015/माघ 17, 1936

No. 299]

NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 6, 2015/MAGHA 17, 1936

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 फरवरी, 2015

का.आ. 387(अ).—स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान संस्थान अधिनियम, 1966 की धारा 5 के खंड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके केन्द्र सरकार श्री लव वर्मा के स्थान पर श्री भानु प्रताप शर्मा, सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, चंडीगढ़ के एक सदस्य के रूप में एतद्वारा नामित करती है और उस प्रयोजनार्थ दिनांक 29 अक्टूबर, 2014 के का. आ. 2792(अ) के तहत भारत के राजपत्र भाग-II, खंड 3, उप-खंड (II) में प्रकाशित स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में भारत सरकार की दिनांक 29 अक्टूबर, 2014 की अधिसूचना संख्या-वी-17011/2/2014-एम ई-II में निम्नलिखित संशोधन करती है:—

उपर्युक्त अधिसूचना में क्रम संख्या 4 और उससे संबंधित प्रविष्टि के लिए निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्—

“4. श्री भानु प्रताप शर्मा,

सचिव,

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय” ।

[फा. सं. वी-17011/2/2014-एम ई-II]

अली आर. रिज़वी, संयुक्त सचिव

पाद टिप्पणः मुख्य अधिसूचना दिनांक 29.10.2014 के भारत के राजपत्र (अ) के तहत का.आ. 2792(अ) में प्रकाशित हुई थी।

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th February, 2015

S.O. 387(E).—In exercise of powers conferred by Clause (d) of Section 5, of the Post Graduate Institute of Medical Education and Research Act, 1966 the Central Government hereby nominates Sh. Bhanu Pratap Sharma, Secretary Health and Family Welfare to be a member of Post Graduate Institute of Medical Education and Research, Chandigarh in place of Shri Lov Verma and for that purpose makes the following amendment in the notification of Government of India in the Ministry of Health & Family Welfare, number V-17011/2/2014-ME-II dated the 29th October, 2014, published in the Gazette of India Part II, Section 3, Sub-section (ii) *vide* S.O. 2792(E) dated 29th October, 2014:—

In the said notification, for serial number 4 and the entry relating thereto, the following serial number and entry should be substituted, namely:—

- “4. Shri Bhanu Pratap Sharma,
Secretary, Ministry of Health and Family Welfare”.**

[F. No. V-17011/2/2014-ME II]

ALI R. RIZVI, Jt. Secy.

Foot Note : The Principal notification was published in the Gazette of India (E) *vide* S.O. 2792(E), dated 29.10.2014.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 फरवरी, 2015

का.आ. 388(अ).—स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान संस्थान अधिनियम, 1966 की धारा 5 के खंड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके केन्द्र सरकार श्री गौतम गुहा के स्थान पर श्रीमती विजया श्रीवास्तव, अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, चंडीगढ़ के एक सदस्य के रूप में एतद्वारा नामित करती है और उस प्रयोजनार्थ दिनांक 29 अक्टूबर, 2014 के का.आ. 2792(अ) के तहत भारत के राजपत्र भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में भारत सरकार की दिनांक 29 अक्टूबर, 2014 की अधिसूचना संख्या वी-17011/2/2014-एम ई-II में निम्नलिखित संशोधन करती है—

उपर्युक्त अधिसूचना में क्रम संख्या 6 और उससे संबंधित प्रविष्टि के लिए निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्—

- “6. श्रीमती विजया श्रीवास्तव,
अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार,
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय” ।**

[फा. सं. वी-17011/2/2014-एम ई-II]

अली आर. रिज़वी, संयुक्त सचिव

पाद टिप्पण: मुख्य अधिसूचना दिनांक 29.10.2014 के भारत के राजपत्र (अ) के तहत का.आ. 2792(अ) में प्रकाशित हुई थी।

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th February, 2015

S.O. 388(E).—In exercise of powers conferred by Clause(d) of Section 5, of the Post Graduate Institute of Medical Education and Research Act, 1966 the Central Government hereby nominates Mrs. Vijaya Srivastava, Additional Secretary and Financial Advisor, Ministry of Health and Family Welfare to be a member of Post Graduate Institute of Medical Education and Research, Chandigarh in place of Mr. Gautam Guha and for that purpose makes the following amendment in the notification of Government of India in the Ministry of Health & Family Welfare, number V-17011/2/2014-ME-II dated the 29th October, 2014, published in the Gazette of India Part II, Section 3, Sub-section (ii) vide SO 2792(E) dated 29th October, 2014:—

In the said notification, for serial number 6 and the entry relating thereto, the following serial number and entry should be substituted, namely:—

**“6. Mrs. Vijaya Srivastava,
Additional Secretary and Financial Advisor,
Ministry of Health and Family Welfare”.**

[F. No. V-17011/2/2014-ME II]

ALI R. RIZVI, Jt. Secy.

Foot Note: The Principal notification was published in the Gazette of India (E) vide S.O. 2792(E) dated 29.10.2014.